

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 3158 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 1) मई, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद रामपुर में रामपुर-केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0-20) किमी0 13 चैनेज 13.352 की बांयी पटरी पर गाटा संख्या-750, ग्राम जनुनागर तहसील मिलक में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.0591 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर की पत्र संख्या-2113/14-1, दिनांक 06-05-2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर में रामपुर-केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0-20) किमी0 13 चैनेज 13.352 की बांयी पटरी पर गाटा संख्या-750, ग्राम जनुनागर तहसील मिलक में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.0591 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अनुसार शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा विषयक क्रम में दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित 2 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक - 2 प्रतियां।

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या — नहीं।
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है,
(हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करें।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- ख में दी गयी — हों।
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत
है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित — प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, रामपुर
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए
सिफारिशें। प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

तिथि :

स्थान : mbd.

(कारंजी वत्रि)
नाम व पदनाम वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सरकारी मोहर मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।